



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)


कनांक/भू.सं./2017/राजसर्व/

दिनांक:- मार्च, 2017

**संपरिवर्तन आदेश**

आवेदक कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावारा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. के आवेदन पर आवेदक की खातोदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजनों के लिये इसका द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता आधार नं०	कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावारा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. आधार नं० 766598083288																
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं																
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत का क्षेत्र का नाम	ग्राम ज्ञानदासपुरा प.मं. दांता तह. दांतारामगढ जिला सीकर																
	(ख)भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 1091/522 रकबा 0-57 है. किस्म चाही-4 में से 0.25 हे. यानि 2500 वर्गमीटर																
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ख.न.</th> <th>रकबा</th> <th>कुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)</th> <th>कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व.मीटर)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1091/522</td> <td>0-25</td> <td>0</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0-25</td> <td>0</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table>	ख.न.	रकबा	कुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व.मीटर)	1091/522	0-25	0	2500	2				Total	0-25	0	2500
ख.न.	रकबा	कुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व.मीटर)															
1091/522	0-25	0	2500															
2																		
Total	0-25	0	2500															
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजसर्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजसर्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।																
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ																
5	संदेय प्रीमियम की दर	5/- प्रति वर्गमीटर एवं 15/- नियमितकरण																
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	जीआरएन 0015676667 दिनांक 17.03.2017 तादादी 16.100/- रुपये (रुमांतरण शुल्क 12,500/- व 240 वर्गमीटर नियमितकरण 3600/-)																
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-																
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-																
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये निम्न 13 के अधीन जारी किया गया है?	हाँ																
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	-																

  
 पटवार मण्डल..... दांता  
 तहसील-दांतारामगढ (सीकर)

- 11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- 1 इंडियन गज कंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निर्माण राज्यापक्ष में छोड़ते हुए संपर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
  - 2 संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखा होगा।
  - 3 यदि प्रार्थी इण्डियन गज कंग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से सरदा वाहन पार्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से अनुमति लेगी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित सड़कों से सहायता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
  - 4 राजस्थान सरकार के पत्र संख्याक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं पत्र संख्याक J-2(S) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि अधिनियम एवं इंडियन गज कंग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
  - 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
  - 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
  - 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
  - 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
  - 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
  - 10 राज्य सरकार के निर्देशानुसार यविय के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हावैस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी


(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ)

दिनांक:- 28 मार्च, 2017

क्रमांक/भूमि सभा./2017/राजसं./ 1574-2-2

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत, दांतारामगढ, दांतारामगढ जिला सीकर
- 4 पटवारी हल्का दांतारामगढ, दांतारामगढ।
- 5 कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. जिला सीकर राज.
- 6 श्री पत्रावली


  
 पटवारी  
 पटवार मण्डल.....  
 तहसील-दांतारामगढ (सीकर)

नकल रजिस्टर P-35 क

S.No. 4135 दिनांक 02/04/2017

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

क. ०१२५ - ०१२५/१२५ - ०१२५ - ०१२५ - ०१२५ - ०१२५  
 जिला - सीकर - २५१ - १२२० - ०० अक्षांश - २०१६  
 पंचायत - १२५ मी. = ३०३५



P-35 क्रमांक 3327  
 दिनांक 28-08/2

CS  
 88e

TEHSILDAR  
 DANTARAMGARH

*[Signature]*  
 प्रस्तावित पटवारी  
 पटवार मण्डल बीता  
 तहसील दाँतारामगढ़ (सीकर)

नकल रजिस्टर P-35 क  
 S.No. 4755 दिनांक 02/04/2025.

*[Signature]*  
 पटवारी  
 पटवार मण्डल.....  
 तहसील-दाँतारामगढ़ (सीकर)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दंतारामगढ़ (सीकर)  
 दिनांक 28.05.2015

आदेशक श्री कन्हैयालाल एम.एस.एल. शिक्षण संस्थान, दांता जरिगे अग्रगण्य श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र यशवन्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खानशिवासा तहसील दंतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान) के आवेदन पर अग्रगण्य की आतेपारी अनिष्टि में स्थित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (प्रधान क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अधिकारी का नाम पित्त/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री कन्हैयालाल एम.एस.एल. शिक्षण संस्थान, दांता जरिगे अग्रगण्य श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र यशवन्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खानशिवासा तहसील दंतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)			
2	क्या आवेदक अनुरूचित जाति का अनुरूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम- खानदासापुरा गा.पं. दांता तह. दंतारामगढ़ (सीकर)			
4	(ख) भूमि का खसरा और पंचक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 522/2 रकबा 0.57 है			
5	(ग) खसरा नम्बरों के प्रयोग का समदर्शित करत हुए समदर्शित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	सड़क हेतु खसरे क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (वर्गमीटर)	कुल समदर्शित क्षेत्र भूमि (वर्गमीटर)
		522/2	0.57	--	2500
		Total	0.57	--	2500
6	विशेष (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के अनुसार नाम की सम्यक रूप से मान्यमित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित नाम को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।			
7	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)			
8	संदेध प्रीमियम की दर	20 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 50000-			
9	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	भा.सं. 116 दिनांक 28.05.2015 से रुपये 50000-			
10	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हां			
11	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हैं	नेशनल रोड कांफ्रेंस के नियमानुसार सड़क सीमा छोड़कर			

अधिकारी  
 पटवारी  
 पटवार मण्डल, दंतारामगढ़ (सीकर)  
 तहसील-दंतारामगढ़ (सीकर)

नकल सचिव P-35 क  
 No. 47-55 दिनांक 02/04/2025



6/14/22, 9:12 AM

ग्राम : जानदासपुर	पटवार मण्डल : दोता	भू.अ.नि.पूत.दोता	तहसील : दोतारासगढ़	जिला : सीकर
नामांतरकरण का प्रकार : स्वाम्तीकरण		प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक : 405 14/06/2022		संवत् तथा दाल गण्ड की क्रम संख्या : 2076-2079
रजिस्ट्रीकरण चंफक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क : 20 शक्ति : 0		

नही सिद्धे जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (घरानी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
घाता संख्या	घसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा वर्गीकरण	राजस्व सगान	विशेषियों सहित कारतकार का नाम	घाता संख्या	विशेषियों सहित कारतकार का नाम	घसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा वर्गीकरण	राजस्व सगान
9	1133/1085	0.2500	संस्थानिक (शैथनिक प्रयोजनार्थ)		1.) चन्द्रपतानहरिनवानशिवनम म्यातडाताजरीसेअधुधुधु धीमुरेध सुनारधनापुधराधाकृष्ण संजिमियाह्वगमाघाचरियावाम	9	1.) चन्द्रपतानहरिनवानशिवनसमानदाताजरीसेअधुधुधु धीमुरेधसुनारधनापुधराधाकृष्णसंजिमियाह्वगमाघाचरियावाम हिस्ता- पूर्ण मा. घाचरियावास घातेदार --यदस्तुर घसरा--	1134/1085	0.0700	संस्थानिक (शैथनिक प्रयोजनार्थ)	
	1134/1085	0.0700	चाही 4	1.05	हिस्ता- पूर्ण						
	1135/1085	0.2500	संस्थानिक (शैथनिक प्रयोजनार्थ)		मा. घाचरियावास घातेदार						
घाता : 9	कुल घसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.5700	कुल कारतकार : 1			घाता : 9	कुल कारतकार : 1	कुल घसरे : 3		कुल क्षेत्रफल : 0.5700	

(क) नवदाती की रिपोर्ट :  
 मुतासिब, साम्प्रीकरण आडिवा नवीन अंकन प्रस्तावित करवाले  
 जांच एवं निर्णय हेतु प्रेषित है।  
 14/06/2022

(ख) भू.अ.निरीक्षण की जांच रिपोर्ट :  
 जांच की अंकन प्रस्तावित आडिवा हेतु  
 14/06/2022

(ग) ग्राम पंचायत / राजस्व अधिकारी का आदेश :

घाता : 9	कुल घसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.5700	कुल कारतकार : 1	घाता : 9	कुल कारतकार : 1	कुल घसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.5700
----------	--------------	------------------------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------------------------

स्वीकृत  
 14/06/22  
 ग्राम पंचायत / राजस्व अधिकारी का नाम :  
 दिनांक :  
 पटवारी :  
 पटवार मण्डल :  
 तहसील-दोतारासगढ़ (सीकर)

नकाश चारिस्टर P-35 क  
 S.No. 4754 दिनांक 02.04.2025

नामा - 405



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
REVENUE DEPARTMENT**

Certificate Ref. No: LC/2021-22/118990

Date: 01-06-2022

**FORM-B**

[See Rule 9(3),(4) and (6)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, DANTARAMGARH**  
**CONVERSION ORDER**

On the application of **KANHAIYA LAL HARITWAL SHIKSHAN SANSTHAN S/O SURESH KUMAR SHARMA** of village **GYANDAS PURA** Tehsil **DANTA RAMGARH**, agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural In Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Name of Applicant Khatedar/Tenant:	Father's/ Husband's Name	Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc.)	Complete Address
1	KANHAIYA LAL HARITWAL SHIKSHAN SANSTHAN	SURESH KUMAR SHARMA	GENERAL	GYANDAS PURA, DANTA, DANTA RAMGARH, SIKAR, RAJASTHAN-332702

**1. Details of the Land converted:**

- (a) Name of the village/Gram Panchayat/Tehsil: **GYANDAS PURA/DANTA/DANTA RAMGARH**
- (b) Khasra No. of the land: **1134/1085**
- (c) Area of each Khasra No. (in square meter): **700**
- (d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): **700**
- (e) Area converted (in sq. meter): **700**

**2. Purpose of Conversion: INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**

**3. Conversion type (Sub Category): INSTITUTIONAL PURPOSE**

**4. Rate of conversion charges payable (₹): 5.68/-**

**5. Premium deposited (₹): 3976/-**

(a) Advance Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **265/-, 09/05/2022, 22443645086**

(b) Remaining Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **3711/-, 31/05/2022, 22449296924**

**6. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: 0/-**

**7. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: 0/-**

**8. Whether the order issued under Rule 13 for regularization: NO**

नकल रजिस्टर P-35 क

S. No. **4754** दिनांक **02/04/2025**

पटवारी

पटवार मण्डल.....**रांग**.....  
तहसील-दोंतारामगढ़ (सीकर)



Digitally

Digitally Signed by **Rajesh Kumar Meena**  
Designation : **SUB DIVISIONAL OFFICER**  
**DANTARAMGARH**